बिहार सरकार
विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
::अधिसूचना::

अ०सं०– वि० प्रा० (III) नियुक्ति–02/2026/ 2207 /पटना, दिनांक – 15.04.2026

बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा विज्ञापित विज्ञापन संख्या–57/2024 के आलोक में आयोग के पत्रांक–08 दिनांक–22.01.2026 द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के अधीन राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों में निम्नांकित अभ्यर्थियों को वेतनमान लेवल–9ए (प्रवेश वेतन–56,100/–रू०) एवं समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा अनुमान्य भत्तों के साथ बिहार पोलिटेकनिक शिक्षा सेवा के अधीन **व्याख्याता (माईनिंग इंजीनियरिंग)** के पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुए उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–9 में अंकित संस्थान में अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है :–

क्र०	अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम एवं स्थायी पता	जन्म तिथि	आरक्षण कोटि	अनुशंसित कोटि	संयुक्त मेधा क्रमांक	गृह जिला	फोटो	पदस्थापित पोलिटेकनिक संस्थान का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	संजीव कुमार (SANJEEV KUMAR) (रौल नं० 570075), पिता– मदन कुमार साह, ग्राम+पो०– निंगा, वार्ड नं० 07, थाना– बरौनी, जिला– बेगूसराय, बिहार–851112	16.04.97	EBC	UR	1	बेगूसराय	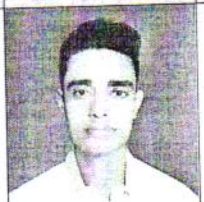	राजकीय पोलिटेकनिक, नवादा
2.	सत्यम कुमार (SATYAM KUMAR) (रौल नं० 570114), पिता–सुनील कुमार सिंह, ग्राम+पो०– सुगिया कटसरी, वार्ड नं० 09, थाना+जिला– शिवहर, बिहार–843329	23.02.99	UR	UR	2	शिवहर		राजकीय पोलिटेकनिक, नवादा
3.	आदित्य कुमार (AADITYA KUMAR) (रौल नं० 570138), पिता–प्रदीप कुमार चौधरी, ग्राम+पो०– कोवाही, थाना– पातेपुर, जिला– वैशाली, बिहार–843114	12.12.98	SC	SC	11	वैशाली		राजकीय पोलिटेकनिक, नवादा
4.	सुजीत भारती (SUJEET BHARTI) (रौल नं० 570126), पिता– श्रीकांत प्रसाद, ग्राम+पो०– के०बी० लाल रोड, नियर घोषी टोला, नाथनगर, थाना+जिला– भागलपुर, बिहार–812006	11.10.76	EBC	EBC	3	भागलपुर		राजकीय पोलिटेकनिक, नवादा
5.	विनय कुमार (BINAY KUMAR) (रौल नं० 570170), पिता– स्व० बद्री महतो, ग्राम– लूतौट, पो०– छठियारा, थाना– करंडे, जिला– शेखपुरा, बिहार–811304	10.11.82	BC	BC	4	शेखपुरा		राजकीय पोलिटेकनिक, नवादा

2. इनकी यह नियुक्ति सम्पुष्ट होने तक अस्थायी होगी।

3. इन्हें मासिक वेतनादि एवं अन्य वित्तीय लाभ व्याख्याता (माईनिंग इंजीनियरिंग) के पद पर प्रभार ग्रहण करने की तिथि से देय होगा।

4. नवनियुक्त व्याख्याता (माईनिंग इंजीनियरिंग), अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से एक माह के अन्दर नव पदस्थापित संस्थान में निश्चित रूप से प्रभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे। निर्धारित तिथि तक योगदान नहीं करने अथवा साक्ष्य के साथ निर्धारित तिथि तक योगदान अवधि के विस्तार हेतु आवेदन नहीं देने पर उनकी नियुक्ति रद्द करने के संबंध में नियमानुसार निर्णय ले लिया जाएगा।

5. इनकी पारस्परिक वरीयता बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित संयुक्त मेधा क्रमानुसार होगी।

6. अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित शैक्षणिक एवं अन्य प्रमाण–पत्रों में कोई त्रुटि परिलक्षित होती है तथा पूर्ववृत सत्यापन प्रतिवेदन में यदि कोई प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होता है, तब नियुक्त होने वाले अभ्यर्थी की सेवा तत्कालिक प्रभाव से रद्द कर दी जाएगी एवं उनके विरूद्ध आवश्यक विधि–सम्मत कार्रवाई की जाएगी।

7. नवनियुक्त व्याख्याता (माईनिंग इंजीनियरिंग), जो वर्त्तमान में किसी केन्द्र अथवा राज्य सरकार/ सरकारी उपक्रम में कार्यरत है, उन्हें योगदान के समय संबंधित विभाग/संस्थान का विरमित आदेश/त्यागपत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। संबंधित विभाग/संस्थान का विरमित आदेश/त्यागपत्र प्राप्त होने के उपरान्त ही नियंत्री पदाधिकारी, इनके प्रभार ग्रहण प्रतिवेदन को प्रतिहस्ताक्षरित करेंगे।

8. अभ्यर्थियों, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग सम्प्रति सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्गत संकल्प संख्या–1919 दिनांक–18.01.1976 के अनुपालन में दहेज नहीं लेने–देने संबंधी घोषणा पत्र योगदान देते समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे।

9. बिहार सेवा संहिता के नियम–52 के अन्तर्गत अभ्यर्थी जिला मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी–सह–असैनिक शल्य चिकित्सक द्वारा प्रदत्त अपनी स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र नियंत्री पदाधिकारी को योगदान के समय निश्चित रूप से समर्पित करेंगे।

10. बिहार पेंशन (संशोधन) नियमावली, 2005 द्वारा प्रतिपादित वित्त विभाग के संकल्प संख्या–1964 दिनांक–31.08.2005 एवं 768 दिनांक–03.07.2007 के अनुसार इन कर्मियों पर नयी अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

11. अभ्यर्थियों को योगदान हेतु पदस्थापित संस्थान पर आने–जाने के लिए कोई यात्रा–भत्ता देय नहीं होगा।

12. अभिप्रमाणित फोटोयुक्त नियुक्ति पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने पर योगदान स्वीकृत नहीं किया जाएगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(कुमार सिद्धार्थ)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक – वि० प्रा० (III) नियुक्ति–02/2026/ *2207* /पटना, दिनांक – *15.04.2026*

प्रतिलिपि – प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ (सी0डी0 के साथ) एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक – वि० प्रा० (III) नियुक्ति–02/2026/ *2207* **/पटना, दिनांक –** *15.04.2026*

प्रतिलिपि – प्रधान महालेखाकार, बिहार, वीरचंद पटेल पथ, पटना/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग), विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, नवादा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक – वि० प्रा० (III) नियुक्ति–02/2026/ *2207* **/पटना, दिनांक –** *15.04.2026*

प्रतिलिपि – माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के प्रधान सचिव/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/प्राचार्य/ प्रभारी प्राचार्य, सभी राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थान/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/ सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक कोषांग/सभी पदाधिकारी, विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार, पटना एवं संबंधित व्याख्याताओं को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. संबंधित प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य को निदेशित किया जाता है कि नवनियुक्त व्याख्याता (माईनिंग इंजीनियरिंग) के शैक्षणिक एवं अन्य संगत प्रमाण–पत्रों एवं दस्तावेजों की जाँच संबंधित संस्थानों/ कार्यालयों से कराकर उसका प्रतिवेदन विभाग को तीन माह के अन्दर निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे।

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक – वि० प्रा० (III) नियुक्ति–02/2026/ *2207* **/पटना, दिनांक –** *15.04.2026*

प्रतिलिपि – श्री/सुश्री/श्रीमती– ...., पिता/पति का नाम– ....
.... ग्राम/मो0– ....
.... जिला– .... को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

फोटो

सरकार के संयुक्त सचिव,
विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग,
बिहार, पटना।

प्रशाखा–3/08.04.26